कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को जहां तक उनका संबंध ड्राईवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) के अधीन केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर, में स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी I), स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी) के पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर, [स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी I), स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)] भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : (1) ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी I	1* (एक) (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II) जिन्होंने केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान में, छह वर्ष सेवा की हो या श्रेणी II और सामान्य श्रेणी में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और भारी मोटरयान चलाने के लिए उपयुक्त व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे पदधारी : (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 4000–6000 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी II के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो या श्रेणी II और सामान्य श्रेणी में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और सरकार द्वारा यथा विहित समुचित स्तर का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हो। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मत्स्यकि) – सदस्य 3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 5. केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान का या बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी II	1* (एक) (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी) जिसने केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और भारी मोटर यान चलाने के लिए उपयुक्त व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे पदधारी : (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी) के पद पर नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा यथा विहित समुचित स्तर की व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हो। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मत्स्यकि) – सदस्य 3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 5. केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान का या बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

1214 GI/06-9

1	2	3	4	5	6
3. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)	1* (एक) (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण :** 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) हल्के, मध्यम और भारी यान चलाने की सिविल चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। **अनुभव :** हल्के, मध्यम और भारी यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (अर्हताएं भूतपूर्व सैनिकों की दशा में शिथिल की जा सकती है)।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मत्स्यकि) – सदस्य 3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान – सदस्य 5. केन्द्रीय मत्स्यकि तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान का या बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 4-12/2000-एफ वाई(प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 20th April, 2006

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Group 'C' and Group 'D' post) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Driver, except as respect things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF), Bangalore under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery [(Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Oridinary Grade)] Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualification.**—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
1. Staff Car Driver Grade-I	1*(One) (2006) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.4500-125-7000	Non selection	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational qualification and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or deputation/transfer and percentage of posts	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Ttransfer to be made
11	12
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Staff Car Driver (Grade-II) with six years service or a combined service of 15 years in Grade II and in ordinary grade put together in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and subject to passing of Trade Test suitability to drive Heavy Motor Vehicles. **Deputation :** Officials under the Central/State Governments : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR (ii) with six years' of regular service in the post of Staff Car Driver grade II in the scale of pay of Rs. 4,000—6,000 or with combined service of 15 years in grade -II and in ordinary grade put together, subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as prescribed by the Government. **Note :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery —Chairman 2. Under Secretary (Fishery) —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery —Member 4. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery —Member 5. An officer belonging to SC/ST either in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery or outside —Member	Note applicable.

1	2	3	4	5	6
(2) Staff Car Driver Grade-II	1*(One) (2006) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion failing which by deputation	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years' regular service in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and subject to passing of Trade Test suitability to drive Heavy Motor Vehicles. **Deputation:** Officials under the Central/State Governments : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with nine years of regular service in the post of Staff Car Driver grade (Ordinary Grade) in the scale of pay of Rs. 3050-4590, subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as prescribed by the Government. **Note:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Chairman 2. Under Secretary (Fishery). —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Member 4. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Member 5. An Officer belonging to SC/ST either in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery or outside. —Member	Not applicable.

1214 GI/06-10

1	2	3	4	5	6
(3) Staff Car Driver Ordinary Grade-II	1*(One) (2006) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not exceedings 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). **Note:** 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from Candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). 2. In respect of post, the appointments to which are made through employment exchanges, the crucial date shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.	**Essential:** (i) A pass in 8th standard from a recognized school. (ii) Should possess a civil driving license for light, medium and heavy vehicles. **Experience:** Should have experience in driving light, medium and heavy vehicles for atleast three years. (Qualifications are relaxable in case of Ex-servicemen candidates).	Not applicable	Two years

11	12	13	14
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation: 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Chairman 2. Under Secretary (Fishery) —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Member 4. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery. —Member 5. An Officer belonging to SC/ST either in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery or outside. —Member	Not applicable.

[F. No. 4-12/2000-Fy. (Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.